न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2503–एक/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 14–7–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हटा जिला दमोह के प्रकरण कमांक 06/बी–121/14–15.

अनिल कुमार पिता गनेश प्रसाद पाण्डे
निवासी सुभाष वार्ड हटा, तहसील हटा जिला दमोह

.....आवेदक

विरूद्ध

सुशीला पत्नि भूषण नामदेव
हाल निवासी वनगांव, तहसील पटेरा जिला दमोह म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री राजेन्द्र पटेरिया, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 2503–एक/15 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, हटा जिला दमोह के प्रकरण कमांक 06/बी–121/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14–7–2015 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में संस्थित हुई है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । तहसीलदार हटा, दमोह द्वारा उनके प्रकरण कमांक 1814/बी–121/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30–9–14 से निगराकार के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध उसने (निगराकार ने) अनुविभागीय अधिकारी हटा के समक्ष अपील की । अनुविभागीय अधिकारी के अपीलीय प्रकरण में निगराकार ने सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 का स्थल निरीक्षण पुनः कराए जाने हेतु

आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 14–7–15 से निरस्त कर दिया । इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी दायर हुई ।

3/ मैने उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने और गैर निगराकार के लिखित तर्क तथा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया ।

निगराकार का तर्क है कि पंचनामा दिनांक 10–6–14 (तहसीलदार नस्ती का पृष्ठ 23) में उनके हस्ताक्षर नहीं है और उन्होंने पुनः स्थल निरीक्षण का आवेदन न्याय विफल नहीं होने देने के उद्देश्य से किया है ।

गैर निगराकार का तर्क है कि निगराकार ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उक्त आवेदन और राजस्व मण्डल में यह निगरानी केवल विलंब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए है, वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष, साक्ष्य आदि रख कर न्याय करा सकते हैं । वैसे भी अभी अनुविभागीय अधिकारी ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है और उभयपक्ष को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अभी उपलब्ध है । गैर निगराकार एक विधवा अशिक्षित महिला है, जिस बात का निगराकार लाभ उठा रहे हैं । अंत में गैर निगराकार अधिवक्ता ने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी चाहे तो स्थल निरीक्षण पुनः करा लें, किन्तु वे एक तो इसे जल्दी कराएं और दूसरे इसे वे निगराकार की कीमत (cost) पर कराएं । उन्होंने निगरानी खारिज करके अनुविभागीय अधिकारी को यथाशीघ्र गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया ।

4/ तर्क एवं अभिलेखों के प्रकाश में मैं पाता हूँ कि प्रकरण में मैं यह पाता हूँ कि प्रकरण में अभी उभयपक्ष को अवसर देते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय किया जाना अभी बाकी है, जो उन्हें उभयपक्ष के समस्त दस्तावेजी एवं अन्य साक्ष्यों एवं प्रतिपरीक्षण और तर्कों के आधार पर, कारण और आधार अभिलिखित करते हुए, बोलते स्वरूप में यथाशीघ्र लेना चाहिए ।

अभिलेख के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि निगराकार का यह तर्क सही है कि तहसील न्यायालय के अभिलेख के पृष्ठ 23 पर अवस्थित पंचनामा दिनांक 10–6–14 में निगराकार के हस्ताक्षर नहीं है । तहसील के प्रकरण में उक्त पंचनामें से संबंधित मौका

कार्यवाही के पूर्व कोई सूचना पत्र भी पटवारी द्वारा जारी हुआ होना भी नहीं पाया गया । अतः प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि मौका कार्यवाही के पूर्व निगराकार को विधिवत सूचना और कार्यवाही के दौरान निगराकार को उपस्थित रहकर पक्ष समर्थन करने का अवसर नहीं मिल पाया है ।

5/ अतः उपरोक्त के प्रकाश में और न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 14–7–15 निरस्त किया जाता है, और अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 1 माह के भीतर, निगराकार को विधिवत पूर्व सूचना तामील कराते हुए स्थल निरीक्षण कराएं । निगराकार को भी यह निर्देश दिया जाता है कि वे, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियत दिनांक को जो भी पहले हो, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनिवार्यतः उपस्थित रहें और स्थल निरीक्षण की कार्यवाही में भी अनिवार्यतः उपस्थित रहें । यदि वे ऐसा नहीं करते है, तो विधि अनुसार उन्हें अवसर देने के उपरान्त, उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही करने एवं कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे । इस आदेश का कोई प्रभाव अनुविभागीय अधिकारी के अपीलीय प्रकरण के गुणदोष पर निराकरण पर, स्थल निरीक्षण से जुडे बिन्दुओं को छोड़कर नहीं पड़ेगा।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

2.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर